

उत्तर प्रदेश शासन,

राजस्व अनुभाग-11

संख्या-1330/1-11-2008-04/2006

लखनऊ दिनांक 22 अप्रैल, 2008

कार्यालय-झाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि राजस्व विभाग के अधीन प्रचलित "क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप" योजना (मोबाइल फोन सुविधा) के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि० द्वारा लेखा संख्या-108325322 के सापेक्ष दिनांक 01 जनवरी 2008 से 31 जनवरी 2008 के लिए जारी देयक अंकन रु० 7,58,430/- (रुपये सात लाख अठठावन हजार चार सौ तीस मात्र) एवं लेखा संख्या-108325322 के सापेक्ष दिनांक 01, फरवरी 2008 से 29, फरवरी 2008 के लिए जारी देयक अंकन रु० 7,58,430/- (रुपये सात लाख अठठावन हजार चार सौ तीस मात्र) एवं लेखा संख्या-108325322 के सापेक्ष दिनांक 01, मार्च 2008 से 31 मार्च 2008 के लिए जारी देयक अंकन रु० 7,58,430/- (रुपये सात लाख अठठावन हजार चार सौ तीस मात्र) अर्थात् कुल रु० 22,75,290/- (रुपये बाइस लाख पचहत्तर हजार दो सौ नब्बे मात्र) का भुगतान भारत संचार निगम लि० को करने हेतु इतनी ही धनराशि कोपागार से आहरित करने की अनुमति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजन-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(जी०के०टण्डन)

सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-1330⁽¹⁾/1-11-2008-04/2006, तददिनांक

प्रतिलिपि उप सचिव एवं आहरण वितरण अधिकारी, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि कोपागार से आहरित कर संदर्भित देयक का